RAJYA SABHA

Friday, the 8th August, 1997/17th Shravana 1919 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

The Deputy Chairman *in the chair*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

DEPUTY CHAIRMAN: QUESTION NO. 241

DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Madam,....

उपसभापति: पहले क्वश्चन ऑवर हो जाए, फिर कह दीजिए।

डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद: उसी के संबंध में है।

Madam, I want to raise a point regarding the comment made yesterday by the Prime Minister in reply to my question. The Prime Minister in his reply commented like this. "Hon. Member need not get excited about it. I do not know whether he was born in 1951 or not." Today morning itself I have received this paper.

मैं कब जन्मा हूं, जन्मा नहीं हूं, यह कोई बात नहीं है।

The sentence is like this: "I do not know whether he was born in 1951."

गरीबी रेखा के बारे में मैंने पूछा है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I don't think it is a decent language. It should be got deleted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will look into the record.

पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस का वितरण

*241. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस के वितरण के संबंध में कोई विशेष नीति बनाई है,

(ख) इस संबंध मे उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची की स्थिति क्या है,

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (घ) जी, हां। पिछले कुछ वर्षों से, वनों के संरक्षण के हित में, सरकार पर्वतीय क्षेत्रों को एल पी जी कनेक्शन जारी करने के संबंध में प्राथमिकता देने की नीति का पालन कर रही है। सरकार ने जनवरी, 1996 में, 1 जनवरी, 1996 से 4500 फुट से अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों और प्रतीक्षा सूची समाप्त करने के बाद। अप्रैल, 1996 से 2000 फुट और 4500 फुट के बीच की ऊंचाई में आने वाले पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को मांग पर एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए तेल कंपनियों को निर्देश दिया। वर्ष 1996-97 के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में 5.43 लाख एल पी जी कनेक्शन जारी किए गए जो देश में कुल जारी 23.4 लाख कनेक्शनों के 23.2 प्रतिशत के बराबर है।

1996-97 के दौरान 95363 कनेक्शन जारी किए जाने के बाद और अप्रैल-जून 97 के दौरान 36073 और कनेक्शन जारी किए जाने के बाद। जुलाई, 1997 तक उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची लगभग 43,330 थी। वर्तमान प्रतीक्षा सूची दिसम्बर, 1997 तक निपटा दिए जाने की योजना बनाई गई है।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: मैडम, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की जानकारी में है कि गढ़वाल एवं कुमायूं मंडलों की गैस आपूर्ति हेतु दों फिलिंग स्टेशंस — बहादराबाद जिला हरिद्वार तथा हल्दानी जिला नैनीताल में बनाए गए थे और यह निश्चय किया गया था कि वे केवल पर्वतीय क्षेत्र अर्थात् उत्तराखंड/उत्तरांचल के वर्तमान 9 जिलों की आपूर्ति करेंगे? क्या इस में परिवर्तन किया गया है?

श्री जनेश्वर मिश्र: मैडम, पर्वतीय क्षेत्रों में हरिद्वार सहित उत्तर प्रदेश के सभी इलाके आते हैं और उन को गैस आवंटित करने के लिए जो नीति बनायी गयी है, उन में से दो के बारे में आप पूछ रहे हैं। एक पूर्वांचल विकास निगम की तरफ से बनायी जाती है, हमारी तेल कंपनी की तरफ से नहीं मायने यह उत्तराखंड विकास

निगम की तरफ से बनायी जाती है, तेल कंपनी की तरफ से नहीं। इसलिए मैं आप के इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: मैडम, अभी जो वितरण वह कर रहे हैं, वह दूसरे क्षेत्रों को भी कर रहे हैं जिस से वहां गैस की कमी पड़ गयी है।

श्री जनेश्वर मिश्र: वह निगम जिस तरह से व्यवस्था करता है, उस आधार पर गैस दी जाती है।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: मैडम, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि सरकार ने मोटर मार्ग से बाहर के स्थानों को इस योजना से लाभांवित करने की दृष्टि से पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री ब्रहम् दत्त शर्मा के जमाने में एक योजना बनाई थी जिस में 15 किलो के छोटे सिलेंडर्स में गैस भरी जानी थी क्या सरकार उस योजना पर विचार कर रही है? यह प्रश्न का भाग "ए" है और "बी" यह है कि क्या सरकार ने इन दो कमिश्नरियों में गैस वितरण का अधिकार गढ़वाल और कुमायूं विकास मंडल को दे रखा है? क्या उन की वितरण व्यवस्था ठीक है और क्या सरकार उस से संतुष्ट नहीं है? अगर नही है तो उस में वह क्या कार्यवाही कर रही है? तीसरे यह कि...

उपसभापति: आप एक पूरक प्रश्न तो पूछ लीजिए, आप तीन-तीन पूछेंगे तो जो बाकी तीन नाम मेरे पास हैं, वह क्या पूछेंगे?

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: मैडम, बस एक और रह गया है।

उपसभापति: नहीं, दूसरों को भी मौका देना चाहिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: मैडम, इन्होंने एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म की बात कही है कि जहां गैस एजेंसी है, वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर क्या अलग से गैस ले जाकर वितरित करेंगे? मैडम, पहाड़ी क्षेत्रों में ब्रह्म दत्त जी के जमाने में 15 किलोमीटर की दूरी रखी गयी थी। इस सरकार ने उसे 50 किलोमीटर तक ले जाने की योजना बनायी है।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: मैडम, 15 किलोमीटर नहीं, 15 किलो के गैस सिलेंडर बनने थे। जो पैदल इलाके हैं, उन के लिए ये सिलेंडर्स बनने थे।

श्री जनेश्वर मिश्र: ऐसी योजना शायद अभी नहीं है।

श्री सतीश प्रधान: मैडम, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने अभी नजदीक के समय में एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है जिस में उन्होंने लाखों सिलेंडर्स के वितरण की बात कही है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। इसी संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसी के साथ-साथ आप "वन सिटी, वन डेट" की योजना को लागू करेंगे? अभी एक शहर में आप के जितने भी वितरण केन्द्र हैं, सप्लाय एजेंसीज हैं, हरेक के पास बुकिंग की अलग-अलग डेट रहती है, तो क्या उसे समान लाइन पर लाने की आप कोशिश करेंगे? क्या ऐसा निर्णय आप का है?

श्री जनेश्वर मिश्र: मैडम, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस साल 1997-98 में 40 लाख नए कनेक्शंस दिए जाएंगे और अगले साल 50 लाख दिए जाएंगे। इस तरह रफ्तार बढ़ाकर हम उम्मीद करते हैं कि सन् 2000 तक देश में गैस कनेक्शंस के लिए कोई प्रतीक्षा-सूची नहीं रह जाएगी। अब जो जरूरत है उस का आंकलन करे की बात है। मैडम, एक ही तारीख में एक शहर में जितने लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, उन को गैस दी जाए, यह तो कह पाना मुश्किल है क्योंकि इस का रास्ता नहीं निकल पाएगा। इस में बड़ी होड़ होगी। तो एक तारीख में तो यह नहीं होगा, लेकिन प्रतीक्षा सूची हमेशा के लिए खत्म करने का हमारा प्रयास है।

श्री सतीश प्रधान: मैडम, मंत्री जी को समझने में कुछ गलती हो रही है, इसलिए बता रहा हूं कि हमारे गांव में वेटिंग लिस्ट जो है, तो किसी एजेंट के पास 1989 से लेकर आज तक की वेटिंग लिस्ट है और दूसरे एजेंट के पास 1994 के आगे की वेटिंग लिस्ट है, तो यह तो डिस्पेरिटी है, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1989 से 1994 से 1994 से आगे की लिस्ट, इन दोनों में संतुलन होने की आवश्यकता है एक ही एजेंट के पास 1989 से आगे की वेटिंग लिस्ट होगी, तो उस वेटिंग लिस्ट को निकालकर उसे और दूसरे चार एजेंट्स में डिस्ट्रिब्यूट किया जा सकता है और इससे सब एक समान लेवल पर आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है क्या?

श्री जनेश्वर मिश्र: अभी सरकार की योजना है कि 1 जनवरी, 1991 तक की जो वेटिंग लिस्ट है, उसको क्लीअर किया जाए, उसके बाद की जो वेटिंग लिस्ट है, प्रतीक्षा सूची है, उसको प्राथमिकता के आधार पर गैस दिया जाए और उसमें अलग-अलग एजेंसियों को बांटकर उसको एडजस्ट किया जाए इस तरह की योजना है।

श्री राघवजी: उपसभापति महोदया, अभी तक तो जो गैस एजेंसियां थीं, वे बड़े-बड़े शहरों या जिला मुख्यालयों तक ही सीमित रहती थीं और उसके कारण से

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गैस प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत होती थी, वहां लकड़ी का भी अभाव है, तो उनको बड़ी परेशानी होती थी। जब से आपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, आपने यह घोषणा की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कस्बों में भी एजेंसियां देना शुरू कर देंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो यह घोषणा की थी, तो इसे कब से क्रियान्वित करना शुरू कर देंगे और इसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या प्रक्रिया आप शुरू करने वाले हैं?

श्री जनेश्वर मिश्र: मैडम, यह सवाल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पूछा गया है, मेरा ख्याल है कि हर गांव में पहाड़ नहीं होता, लेकिन माननीय सदस्य ने चूंकि पूछ लिया है तो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने यह निर्णय लिया है, पहले था 20 हजार की आबादी वाले कस्बे और उसकी 15 किलोमीटर की सराउंडिंग में जो गांव आते हैं, उनको गैस उपलब्ध कराया जाएगा, उसको केन्द्र-बिन्दु मानकर एक एजेंसी खोली जाएगी, अब हमने बनाया है कि 10 हजार तक की आबादी वाला कस्बा और उसकी 15 किलोमीटर की सराउंडिंग में आने वाले गांव, उनको गैस सप्लाई करने के लिए नई एजेंसी गांव के पैमाने पर खुलेगी। एक-दो जगह प्रयोग हुआ है। मोबाइल गैस सप्लाई करने का, खास तौर से मद्रास में तंजौर में हुआ है। उसका हम अध्ययन कर रहे हैं कि वह कहां तक सफल होता है और हम प्रयास करेंगे कि चूंकि लकड़ी की कटाई बंद हो गई है, इसलिए गांव के लोगों के ईंधन का सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, उसको आगे बढ़ाएं।

श्री राघवजी: कब से प्रारम्भ करने वाले हैं?

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Madam, yesterday there was an article in the *Indian Express*. As far as gas agencies are concerned, the Parliamentary Standing Committee held that the SC/ST people are not being given gas agencies properly. I would like to know from the hon. Minister whether the officers are doing any mischief in allotting gas agencies to the SC/STs.

श्री जनेश्वर मिश्र: अनुसूचित जनजाति के लिए जो लिस्ट बनाई गई थी, गाइडलाइंस बनाई गई थीं, उनका सख्ती से पालन होता है और इस सरकार ने भी तय किया है कि उनका पालन सख्ती से किया जाएगा, जितना उनका कोटा है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हमने अपनी तरफ से एक नया इज़ाफा किया है। हमारी कई बहनें, जो आज यहां पर नहीं हैं, यह मांग किया करती थीं कि हमको 35 सैंकड़ा रिज़र्वेशन मिलना चाहिए पोलिटिकल। हमने कहा है कि जितनी गैस एजेंसी हैं, मान लीजिए 100 हैं तो उन 100 में से 35 सैंकड़ा, क्योंकि चूल्हा-चौका महिलाओं का ही काम है, महिलाओं के नाम पर आबंटित होगा, चाहे वह जनरल हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे कोई और हो।

श्री महेश्वर सिंह: उपसभापति महोदया, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि पहले एरिया आफ डिस्ट्रिब्यूशन गैस एजेंसी का 15 किलोमीटर था, अब वह बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है पहाड़ी प्रान्तों में। यह बात सर्वविदित है कि पहाड़ों में ईंधन के लिए हम जंगलों पर निर्भर हैं। सरकार जंगलों को बचाने के लिए कृतसंकल्प है, चाहे वह केन्द्र की सरकार हो चाहे प्रान्तीय सरकार हो। ये जंगल तब बचेंगे जब सुविधा से लोगों को वहां गैस उपलब्ध हो। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इन पहाड़ी प्रान्तों में गैस एजेंसियों का भी अभाव है। उदाहरण के लिए कुल्लू में केवल 2 गैस एजेंसियां है। यहां तक कि जो हमारा उपमंडल का मुख्यालय है, बंजार है, आनी है, वहां भी गैस एजेंसी नहीं है। तो क्या मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इन पहाड़ी प्रांतों में चाहे वह पूर्वोत्तर हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तरांचल हो, कम से कम उपमंडल के मुख्यालय पर तो गैस एजेंसी दी जाए? क्या वह इसकी व्यवस्था करेंगे?

महोदया, दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य है कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो ऑयल सेलेक्शन बोर्ड आपने गठित किया था, उसमें कुछ अनियमितताएं हुई हैं और उसे आपने भंग कर दिया है। क्या नया ऑयल सेलेक्शन बोर्ड गठित हो गया है? यदि नहीं हुआ है तो कब तक गठित करेंगे ताकि यह सुविधा वहां पर उपलब्ध हो सके?

श्री जनेश्वर मिश्र: महोदया, देश भर में एक हजार से अधिक गैस एजेंसियां चालू की जाएंगी और हमारे माननीय सदस्य ने जिस स्थान के बारे में कहा है, उसकी भी सर्वे रिपोर्ट वगैरह लेकर वहां गैस एजेंसी दी जाएगी।

अब जहां तक ऑयल सेलेक्शन बोर्ड का सवाल है, पिछले एक साल से वह गठित नहीं हो सका है। कई मामले न्यायालय में विचाराधीन थे और कई तरह की अनियमितताएं थीं, उनको देखते हुए पिछले दिनों यानी देवगौडा जी की सरकार के जमाने से एक फाईल रुकी

हुई है जिसमें यह था कि हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में 2 ऑयल कंपनियों के डिप्टी जनरल मैनेजर भी सदस्य होंगे। हमारे आने के बाद कई लोगों ने, सदस्यों से लेकर और लोगों ने यह दबाव डाला कि अगर इसमें जनता का एक आदमी नहीं रहेगा तो कैसे जनता का दर्द समझा जाएगा। हमने इस भावना से प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दिया है क्योंकि यह फैसला प्रधानमंत्री के कार्यालय से ही होना है, क्योंकि उस समय यह विभाग प्रधानमंत्री जी के पास था। उस समय यह फैसला उनके कार्यालय से हुआ था, इसलिए उस कार्यालय की डिग्निटी बचाने के लिए यह जरूरी था कि अपनी तरफ से हम कोई फैसला न करें। उन्होंने कहा कि इस पर बाद में विचार किया जाएगा। हम सोच रहे हैं कि तब तक हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज और इंडियन ऑयल कंपनीज़ के 2 डिप्टी जनरल मैनेजरों की एक कमेटी बना दी जाए ताकि इस दिशा में कार्यवाही हो सके क्योंकि वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। जब प्रधानमंत्री के यहां से क्लियरेंस मिल जाएगा तो आम जनता के बीच से या अनुसूचित जाति या जनजाति का एक प्रतिनिधि उसमें ले लिया जाएगा। यह 3 लोगों की कमेटी बनाने का जो काम है, हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते भर में हम इसको पूरा कर दें।

श्री बंगारू लक्ष्मण: उपसभापति महोदया, मैं यह जानना चाहूंगा कि एल०पी०जी० कनेक्शनों के लिए कुल वेटिंग लिस्ट सारे देश में कितनी है और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ...(व्यवधान)...

उपसभापति: यह हिली ऐरियाज़ का सवाल है

...(व्यवधान)...

श्री बंगारू लक्ष्मण: मंत्री जी ने दया की है कि उन्होंने और बातें भी बतला दी हैं।

उपसभापति: उन्होंने जवाब दे दिया क्योंकि वह जानकारी उनके पास थी।

श्री बंगारू लक्ष्मण: कुल का पूछूंगा तो उसमें प्लेस का भी आ जाएगा। कुल फिगर तो उनके पास होगी ही। दूसरी बात यह है कि जहां डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ओवरलैपिंग सिस्टम है, इसके कारण डिस्क्रीपेंसीज़ हो रही है। कहीं 1989 वाले को नहीं मिला है, कहीं 1994 वाले को मिल रहा है, तो कहीं 1996 वाले को भी मिल जाता है। इस प्रकार की स्थिति है। तो इस ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रेशनेलाईज़ करने के लिए सरकार कुछ सोच रही है क्या?

श्री जनेश्वर मिश्र: कुल प्रतीक्षा सूची देश भर में एक करोड़ इकतालीस लाख के आस-पास है। जो डिस्क्रीपेंसीज़ हो रही हैं, उनके लिए कई तरह की सज़ा का प्रावधान है और सरकार इस बारे में सतर्क है कि जहां कहीं से भी ऐसी शिकायत आती है ओवरलैपिंग डिस्क्रीपेंसी या फैवरेटिज़्म की, सरकार उस पर तुरंत कार्यवाही करती है।

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': उपसभापति जी, मैं प्रश्न पूछने से पहले मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि राज्य सभा के संसद सदस्यों को फिर से गैस कनेक्शन आबंटित करने की सुविधा प्राप्त हो गई है, लेकिन जब गरीब आदमी उन कूपन्स को लेकर डीलर्स के पास जाते हैं तो उनको बार-बार वापस लौटा देते हैं। मेरा यह स्वयं का लखनऊ का अनुभव है और बार-बार मुझे इसके लिए फोन करना पड़ता है, उनको धमकाना पड़ता है कि अगर कनेक्शन नहीं दोगे तो हम तुम्हारी एजेन्सी कैंसिल करा देंगे। वे डीलर्स गरीब आदमियों को सता रहे हैं और वहां पर जो इंडियन ऑयल के अधिकारी हैं उनको भी मैंने इस संबंध में जानकारी दी है लेकिन यह स्थिति अभी दूर नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में जो स्थिति है उससे मंत्री जी अपने विभागीय अधिकारियों को और डीलर्स को अवगत करा दें।

अब मेरा सवाल उत्तराखंड के संबंध में है। उत्तराखंड में जो गैस की सप्लाई हो रही है, उसकी सप्लाई का दायित्व आपने गढ़वाल विकास मण्डल को दे रखा है परन्तु उसके लिए जो वाहन आदि का वहन है या जो बाकी का वहन है वह आपके विभाग का ही होता है, तो इस प्रकार से दोहरी व्यवस्था है। श्री ब्रह्म दत्त जी जो कि उस क्षेत्र के निवासी थे उन्होंने बहुत सोच-समझ कर के, विचार करके कि जहां मोटर वाहन के माध्यम से गैस सलेण्डर नहीं पहुंच सकते हैं वहां पर छोटे गैस सलेण्डर तैयार कराकर भेजे जायें, तो क्या किसी ऐसी योजना पर विचार किया गया था? यदि वह आपके पास नहीं है तो वहां की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि छोटे साइज के सलेण्डर बनाये जायें जो मोटर से नहीं अन्य वाहन से या साधनों से या आदमी अपने कंधों पर उठाकर उस एरिया में ले जा सके?

श्री जनेश्वर मिश्र: मैडम, यह एक सलाह है और इस पर विचार किया जा सकता है।

Setting-up of Mini Refineries

*242. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the concept of setting-up of mini refineries as per the agreement reached between Indian Institute of Petroleum and US based United Technologies Inc., has been conveyed to oil industry and business houses;

(b) if so, the details of the concept;

(c) the advantages of having such refineries; and

(d) by when it is likely to be implemented?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) A concept of setting up mini refinery has been prepared by Indian Institute of Petroleum (IIP), Dehra Dun in agreement with United Technologies Inc., (USA). The concept of Mini Refinery is to convert small quantities of crude oil available mainly from specific small oil fields located in remote areas having insufficient rail/road transportation facilities.

The concept was examined in consultation with the Oil Industry and it has revealed that further analysis need to be done by IIP to establish the techno-economic feasibility of setting up such a mini refinery in India.

श्री वेद प्रकाश पी० गोयल: महोदया, हमसे अपेक्षित है कि हम सवाल पाइंटिड करें। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वे भी अपेक्षित सवालों का पाइंटिड जवाब देंगे? मेरे चारों सवालों का कोई जवाब इनके उत्तर में नहीं है और उसी में से मेरा सप्लीमेंट्री प्रश्न पैदा होगा।

पहले प्रश्न में मैंने पूछा था ऑयल इंडस्ट्री से कंसर्न्ड तेल उद्योग और बिजनिस हाउसिज को इस अवधारण की जानकारी दी है कि नहीं इसके जवाब में कहा है कि ऑयल इंडस्ट्री से कंसल्ट किया है। आज लिबरलाइजेशन के जमाने में ऑयल इंडस्ट्री के सिवाय जो दूसरे बिजनिस में इन्टरेस्टिड हैं वह भी इसको पिक-अप कर सकतें हैं, उनसे कोई सलाह नहीं हुई और उनको शायद यह कनवे भी नहीं किया।

दूसरा, मैंने पूछा था कि डिटेल, क्या है? मिनी का मतलब क्या है? हर क्षेत्र में मिनी का कोई मतलब होता है, जिसने जो मतलब निकालना हो वह नहीं निकाल सकता है। इसका मिनिमम और मैक्सिमम साइज क्या है, किस परिधि के अन्दर यह बैठता है, इसको कुछ मालूम नहीं है। मिनी रिफाइनरी का जो सवाल था वही जवाब में रिपीट कर दिया है।

तीसरा, मैंने पूछा था कि इसके एडवांटेजिज क्या है? उसका जवाब में कोई जिक्र नहीं है। आखिर जब एग्रीमेंट किया है तो कुछ एडवांटेज तो इसके बताये होंगे। एग्रीमेंट कैसे किया, क्यों सरकार ने पैसा खर्चा?

चौथा सवाल था कि इसको कब इम्पलीमेंट करने वाले हैं? आज इतनी एनर्जी क्राइसिज है, उसके बावजूद भी इसको अभी आई०पी०पी० एक्जामिन करेगी, एनालाइज करेगी कब जवाब देगी, कब होगा, इसकी कोई कल्पना नहीं है, इसका कोई संकेत नहीं है।

मैं पहला पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इसकी कल्पना क्या है और कहां-कहां पर ऐसे ऑयलस फील्ड मिले हैं? और प्राईवेट सेक्टर को या किसी और को इसमें इन्वाल्व करने का आपका कोई इरादा है या नहीं है?

श्री जनेश्वर मिश्र: मैडम, मिनी रिफाइनरी का मतलब है कि .05 से लेकर के .5 तक जिस रिफाइनरी से प्रोडक्शन एनुअली होता है उसके मिनी रिफाइनरी कहा जाता है।

श्री वेद प्रकाश पी० गोयल: युनिट क्या है?

श्री जनेश्वर मिश्र: मीट्रिक टन। मैडम, असल में यह आउट-डेटिड टैक्नोलोजी है।

प्रो० राम लखन सिंह यादव: मिलियन या मैट्रिक टन?